प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में **प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में** 1,79,406.5 टन की **वृद्धि हुई है,** जो वर्ष 2022 के 1,29,866.7 टन से 38% अधिक है। **इस अपशिष्ट का लगभग 14% लैंडफिल में निपटान किया गया था।**

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में **राज्य में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला** गया है, जिससे संभवतः अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है।
  - यह विकास चिंताजनक है क्योंकि यह [अपशिष्ट प्रबंधन]() के लिये बाधाएँ उत्पन्न करता है और इसके स्थायी **पर्यावरणीय परिणाम** हो सकते हैं।
  - विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस समस्या के समाधान में **प्लास्टिक के उपयोग में कटौती करना** और **पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है।**
- **लैंडफिल में प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना** एक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है क्योंकि खराब प्रबंधन वाली जगहों के कारण सामान्यतः आग लग सकती है और वहाँ **ज़हरीले पार्टिकुलेट मैटर (PM) व गैसीय उत्सर्जन** हो सकता है।
  - इसलिये, निवारक उपाय के रूप में लैंडफिल में प्लास्टिक के निपटान को कम करने की सलाह दी जाती है।
- **शहरी स्थानीय निकाय (ULB) विभाग** ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये एक रणनीति तैयार की है, जिसे [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)]() को सौंप दिया गया है।
  - सभी नगर निगमों को आवश्यक रूप से **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF)** स्थापित करने और [ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016]() तथा [प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016]() के अनुसार अपने प्लास्टिक अपशिष्ट को संभालने का निर्देश दिया गया है।

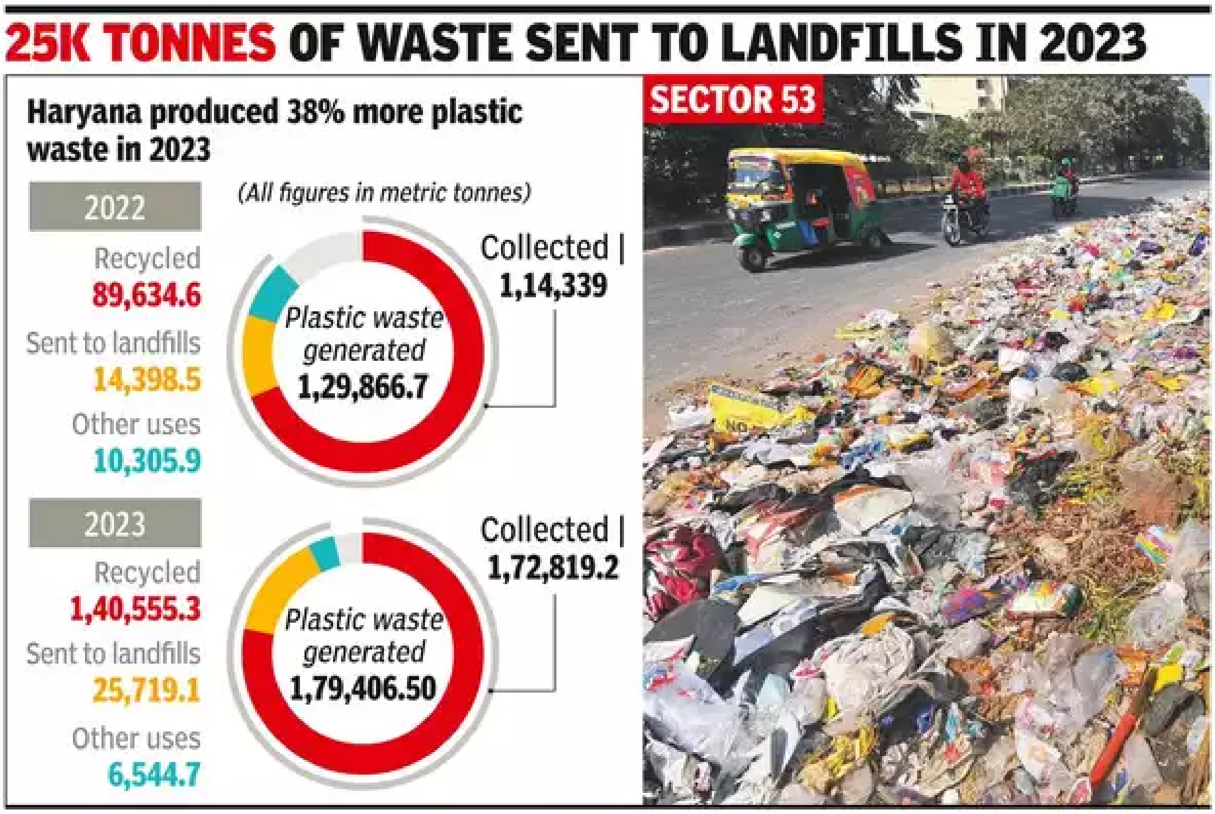

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का **गठन एक सांविधिक संगठन** के रूप में **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के अंतर्गत **सितंबर 1974** को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह एक क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के तहत **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- भारत सरकार के **जल अधिनियम, 1974** के कानून के बाद जल की संपूर्णता को संरक्षित करने और जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक **सांविधिक संगठन** के रूप में इसका गठन किया गया था।

पार्टिकुलेट मैटर (PM)

- पार्टिकुलेट मैटर या PM, हवा में निलंबित बेहद **छोटे कणों और तरल बूंदों** के एक जटिल मिश्रण को संदर्भित करता है। ये कण कई आकारों में आते हैं और सैकड़ों विभिन्न यौगिकों से बने हो सकते हैं।
  - **PM 10 (मोटे कण) -** 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
  - **PM 2.5 (सूक्ष्म कण) -** 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।

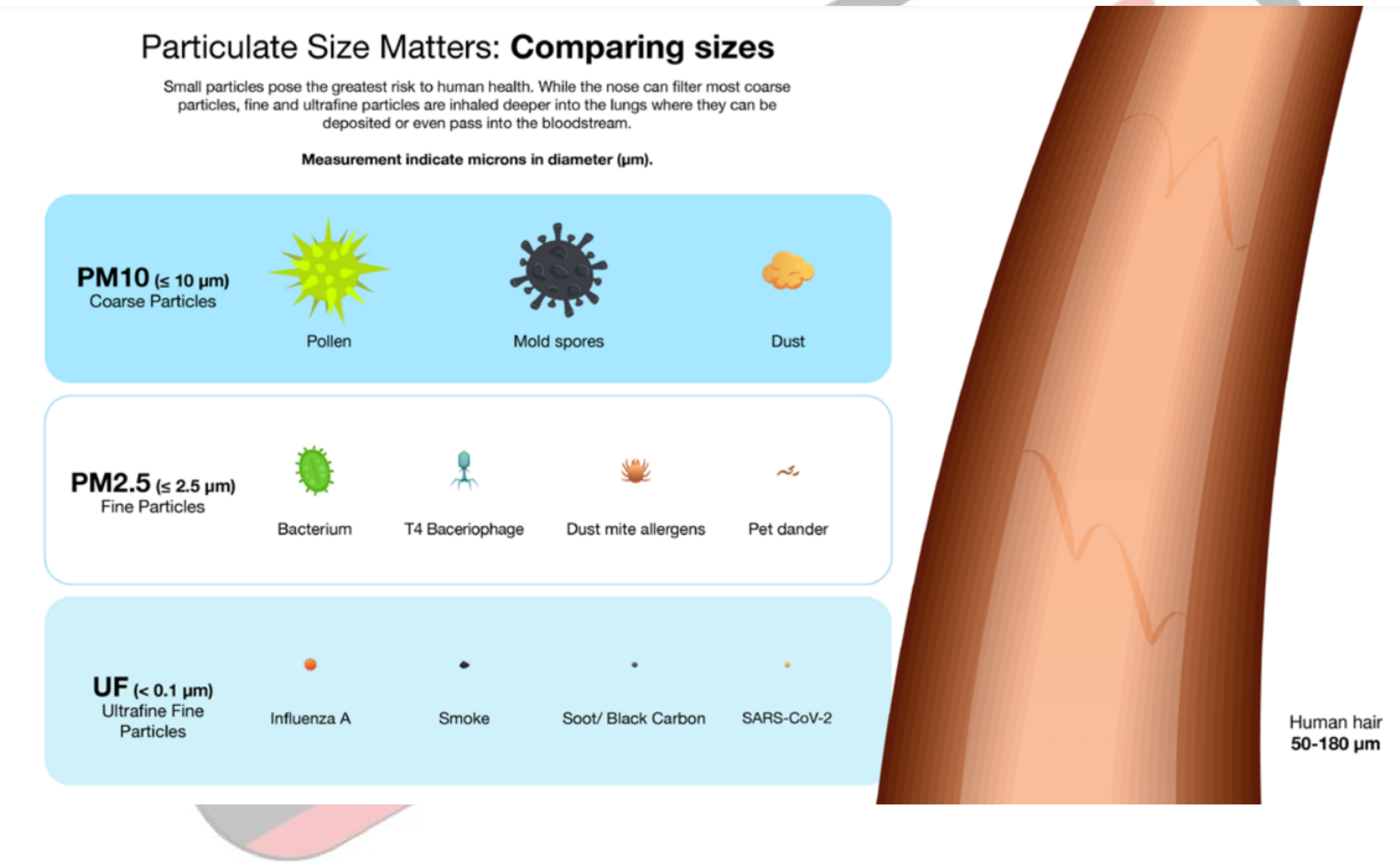

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rise-in-plastic-waste-generation